



डिक्री मूल वाद पत्र

(आदेश 20 नियम 6-7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :- अमिता बिश्नोई
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 219/2023

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. बलवीर सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह | जाति जटसिख साकिन 29 एसटीजी |
| 2. बलजीत कौर पत्नी बलवीर सिंह | तहसील पीलीबंगा |
| 3. चन्दन सिंह पुत्र जगजीत सिंह | जिला हनुमानगढ़ राजस्थान। |

— वादीगण

— बनाम:—

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. हरबंश सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह | जाति जटसिख |
| 2. मलकीत कौर पत्नी हरबंश सिंह | |
| 3. अमरजीत कौर पुत्री पृथ्वी सिंह | |
| 4. मेला पुत्री पृथ्वी सिंह. | पिसरान साकिन 29 एसटीजी |
| 5. अलबेल सिंह | मोटा सिंह |
| 6. इन्द्र सिंह | |
| 7. बलविन्द्र सिंह | |
| 8. लाभ सिंह | तहसील पीलीबंगा |
| 9. गुरमेल सिंह | |
| 10. बलवीर कौर पत्नी हरी सिंह (नाम कलमजन) | |
| 11. फुमन सिंह | |
| 12. कुलविन्द्र कौर (नाम कलमजन) | |
| 13. संदीप कौर (नाम कलमजन) | पिसरान हरीसिंह जिला हनुमानगढ़ |
| 14. सतपाल सिंह | |
| 15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा। | |


— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 49-क आर.टी.ए.

वादीगण की ओर से श्री हरजिन्द्र सिंह अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9, 11, 14 की ओर से श्री नवीन जैन अधिवक्ता इस वाद मे आज दिनांक को अमिता बिश्नोई आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88, 49 "क" के अन्तर्गत वाद निम्नानुसार घोषणा कर खाता विभाजन किया जाता है:-

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 78/87 के प.नं. 29/327 की 2.201 हैक्ट. नाली प्रथम मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 व 14 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा इस प्रकार कुल 2/4 हिस्सा घरू बंटवारा में वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है (प्रतिवादी सं. 1, 11, 14 का नाम कलमजन होगा)।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 112/109 के प.नं. 29/327(42) की 0.253 हैक्ट. नाली द्वितीय मय रास्ता खातेदारी भूमि वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है। प्रतिवादी सं. 11 व 14 का नाम कलमजन किया जावे।


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 83/65 के प.न. 32/324(28) किला नं. 2/2/.025, 2/3/.013 की 0.038 हैक्ट. वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है। शेष हिस्सा बदस्तूर रहेगा।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 71/24 के प.नं. 29/327 की 2.290 हैक्ट. नाली प्रथम मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 3/8 हिस्सा वादी सं. 3 को प्राप्त हुआ है। (प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन होगा)।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 67/47 के प.नं. 28/326(39), 29/326(40) की 4.238 हैक्ट. नाली प्रथम द्वितीय मय गैर मुमकिन रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 253/2119 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 2 के नाम दर्ज 1139/4238 हिस्सा वादी सं.1 को 253/2119 हिस्सा, वादी सं. 2 को 1139/4238 हिस्सा प्राप्त हुआ है। (प्रतिवादी सं. 1 व 2 नाम कलमजन होगा)।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 109/101 के प.नं. 32/324(28) किला नं. 2/1/.215 की 0.215 हैक्ट. नाली द्वितीय मय खाला रास्ता खातेदारी वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 बदस्तूर रहेगा।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 43/31 के प.न. 29/326(40), 30/326(41) की 6.388 हैक्ट. नाली प्रथम द्वितीय मय खाला रास्ता खातेदारी में प्रतिवादी सं. 5 अलबेल सिंह के नाम दर्ज 84/505 हिस्सा यानी 1.062 हैक्ट. भूमि वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है। (प्रतिवादी सं. 5 का नाम कलमजन होगा)।


चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 10/45 के प.नं. 28/325(38), 28/326(39) की 2.529 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी में प्रतिवादी सं. 5 के नाम दर्ज 220/2529 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 6, 7, 8, 11 व 14 के नाम दर्ज भूमि में से 0.522 हैक्ट. भूमि (प्रतिवादी सं. 6 ता 8, 11 व 14 ने अपने अपने हिस्सा में से ब.हि.ब.) व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता दलीप कौर का समस्त हिस्सा वादी सं. 1 को 1.3745 हैक्ट. भूमि प्राप्त हुई है। (प्रतिवादी सं. 5 व दलीप कौर का नाम कलमजन होगा)।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 34/72 के प.नं. 32/324(28) में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1354/3188 हिस्सा समस्त हिस्सा भूमि वादी सं. 1 को प्राप्त हुई है।

29 एसटीजी के खाता सं. 52/50 के प.नं. 25/331(26), प.न. 26/331(25) की 2.669 हैक्ट. में से प्रतिवादी सं. 8 के नाम दर्ज 898/2669 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 व 14 के नाम दर्ज 1012/2669 हिस्सा घरू बंटवारा में वादी सं. 1 को प्राप्त हुआ है। (प्रतिवादी सं. 8 व 11 व 14 का नाम कलमजन होगा)

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 98/79 के प.नं. 33/325(33) की 1.265 हैक्ट. में से वादी सं. 1 के समस्त हिस्सा में से 0.0927 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 1 के नाम से व प्रतिवादी सं. 9 के नाम दर्ज तमाम 1/3 हिस्सा घरू बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुआ है।

चक 29 एसटीजी के खाता सं. 78/37 के प.नं. 23/331(28), 24/331(27), 25/331(26) की कुल 5.060 हैक्ट. में से प.नं. 24/331(27) किला नं. 5, 6, 15, 16, 25/0.130 की 1.142 हैक्ट. भूमि घरू बंटवारा में प्रतिवादी सं. 8 को 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 11 व 14 को 1/2 हिस्सा ब.हि.ब. प्राप्त हुई है शेष प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 व वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 4 की माता दलीप कौर का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं. 1 को खातेदारी घोषित किया जावे।


सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी फीलीबंगा



प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त भूमि चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 79/49 के प.नं. 33/325(33) की 3.795 हैक्ट. में से वादी सं. 1 के नाम दर्ज समस्त हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुआ है व प्रतिवादी सं. 5 के हिस्सा में से 0.292 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई है। (वादी सं. 1 का नाम कलमजन होगा व बाकी हिस्सा बदस्तुर रहेगा।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 11/4 के प.नं. 34/324(30) की 1.012 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है प्रतिवादी सं. 5 का नाम कलमजन किया जावे।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 61/41 के प.नं. 32/323(23) की 1.518 हैक्ट. भूमि में से वादी सं. 2 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी सं. 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 62/23 के प.नं. 34/324 (30) किला नं. 14/2 ता 20 की 1.445 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त हुई है वादी सं. 2, 3 का नाम कलमजन किया जाये।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 44/28 के प.नं. 31/323 (24), 32/323 (23) की 1.605 हैक्ट. भूमि व खाता सं. 45/27 के प.नं. 32/322 (12), 32/323 (23) की 1.771 हैक्ट. भूमि जो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 की माता दलीप कौर के नाम दर्ज है उक्त भूमि घरु बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है जिसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।


चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 62/23 के प.नं. 34/324(30) किला नं. 14/2 ता 20 की 1.445 हैक्ट. नाली द्वितीय खातेदारी भूमि प्रतिवादी सं. 2 को प्राप्त हुई है वादी सं. 2, 3 का नाम कलमजन किया जाये।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 44/28 के प.नं. 31/323(24), 32/323(23) की 1.605 हैक्ट. भूमि व खाता सं. 45/27 के प.नं. 32/322(12), 32/323(23) की 1.771 हैक्ट. भूमि जो वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1, 3, 4 की माता दलीप कौर के नाम दर्ज है उक्त भूमि घरु बंटवारा में प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है। जिसे खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 69/48 के प.नं. 34/323(21) किला नं. 8/2/0.093, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 24/2, 25/1, 25/2 की 2.003 हैक्ट. व प.नं. 34/324(30) किला नं. 8/1, 9, 12, 13, 14/1 की 0.936 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को घरु बंटवारा में प्राप्त हुई है व प.नं. 34/323(21) किला नं. 8/2/0.084 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 6, 7 को घरु बंटवारा में प्राप्त हुई है (वादी सं. 1 का नाम कलमजन होगा)।

चक 29 एसटीजी के खाता सं. 56/54 के प.नं. 26/327(3), 26/328(7), 26/329(13) की कुल 12.966 हैक्ट. नाली द्वितीय प्रथम मय खाला रास्ता खातेदारी में से प्रतिवादी सं. 8 का 527/6483 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 व 14 का 527/6483 हिस्सा दोनों हिस्सा में से 2.038 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है शेष हिस्सा प्रतिवादी सं. 8, 11 व 14 का ब.हि.ब. यथावत रहेगा।

वादी सं. 1 व प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 29 एसटीजी के खाता सं. 76/76 के प.नं. 22/330(17), 22/331(29), 23/330(18), 23/331(28) की 6.325 हैक्ट. नाली प्रथम मय खाला रास्ता खातेदारी में से वादी सं. 1 का 914/6325 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 का 914/6325 हिस्सा इस प्रकार कुल दोनों की 1.828 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 8 को 1/2


सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा



हिस्सा, प्रतिवादी सं. 11 व 14 को 1/2 हिस्सा ब.हि.व. व घरू बंटवारा में प्राप्त हुआ है (वादी सं 1 व प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन होगा)।

प्रतिवादी सं. 1 के नाम चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 109/101 के प.नं. 31/325 (35) किला नं. 3/1, 3/2, 5/1/014, 6/1, 6/2, 7, 14, 15/1, 15/2 की 1.279 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 11 व 14 ब.हि.व. व किला नं. 5/1/0.025 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 5 को प्राप्त हुई है व किला नं. 4/1/228, 4/2/0.025, 5/1/0.164, 5/2/0.025, 5/3/0.025 की 0.467 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 8 लाभ सिंह को प्राप्त हुई है, प.नं. 34/322 (14) किला नं. 20/1, 21, 22 की 0.633 हैक्ट. में प्रतिवादी सं. 6 को 0.143 हैक्ट. प्रतिवादी सं. 7 को 0.133 हैक्ट., प्रतिवादी सं. 8 को 0.272 हैक्ट., प्रतिवादी सं. 11 व 14 का 0.085 हैक्ट. व. हि.व. प्राप्त हुई है व प.नं. 34/321 (10) किला नं. 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 23/2 की 1.354 हैक्ट. भूमि, प.नं. 33/322 (13) किला नं. 22/0.208 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 5 को प्राप्त हुई है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

चक 28 एसटीजी-बी के खाता सं. 69/48 के प.नं. 34/323(21) किला नं. 8/2/0.084 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 6, 7 को ब.हि.व. वादी सं. 1 के द्वारा दी गई है।

चक 28 एसटीजी बी के खाता सं. 65/51 के प.नं. 34/323(21) किला नं. 6/0.093, 7/0.093 की 0.186 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त हुई है।

चक 29 एसटीजी के खाता सं. 38/34 के प.नं. 26/333 की 4.693 हैक्ट. में से वादी सं. 1 का 1564/4693 हिस्सा में से 0.421 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 9 को प्राप्त हुई है शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

चक 29 एसटीजी के खाता सं. 21/21 के प.नं. 22/330(17), 24/333(41), 29/328(10) की 0.772 हैक्ट. में वादी सं. 1 का 1/2 हिस्सा में से 0.080 हैक्ट. भूमि प्रतिवादी सं. 8, 11 व 14 को ब.हि.व. प्राप्त हुई है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न हों तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न हों, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होने की व समस्त प्रकार के भार मुक्त हों तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न हों की दशा में स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार) पूर्वानुसार ही रहेगी। जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 18/11/2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(अमिता बिश्नोई आर.ए.एस.)
उपखण्ड जिलाधिकारी एवं
पदेन सहायक जिलाधिकारी
पीलीबंगा